न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा सं0 : 7/2022

सोहनलाल पिता स्व0 ऊंकारलाल जाति ब्राह्मण निवासी पारसोली तह0 बेगूं
...... वादी

— बनाम —

1:—कृष्णचंद पिता ऊंकारलाल जी ब्राह्मण निवासी पारसोली तह0 बेगूं
2:— श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगू
......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
के.सी.शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : [illegible].08.2025

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्रीद्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि—

यह कि मोजा पारसोली प0ह0 पारसोली तह0 बेगूं की वर्तमान खतौनी संवत 2072—75 खाता सं0 50 कृष्णचंद 1/2 सोहनलाल 1/2 पिता उंकारलाल ब्राह्मण सा0देह खातेदार में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है —

आराजी सं0	क्षेत्रफल(हैक्टेयर)
692	0.1000
693	0.3300
694	0.0600
695	0.1900
696	0.5900
697	0.0300
698	0.6500
699	2.4400
कुल किता 8	कुल रकबा—4.3900 है0

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/2 होकर इसी अनुसार कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 21.09.2021 को प्रतिवादी सं0 1 को तह0 कार्यालय में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होंने मना कर दिया जिससें वादी को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी उक्त वर्णित आराजीयात में का अपना निहित हक हिस्सा 1/2 को जरिये बंटवाडा पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु मिट्स एंड बाउंडस में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद प्रस्तुत है।

अतः वादीया न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करती है—

(क) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादपत्र में अंकित वर्णित आराजीयात मोता पारसोली की आराजी सं0 692, 693, 69, 695, 696, 697, 698 एवं 699 कुल कीता 08 कुल रकबा 4.3900 है0 भूमि मे वादी का हिस्सा 1/2 जरिये विभाजन अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी पृथक करा राजस्व रिकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जाव।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चितौड़गढ़)

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।
वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर जवाब दावा प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि खाता सं0 50 में अंकित भूमि 1/2, 1/2 है किंतु मौके पर वादी के पास डेढ बीघा भूमि अधिक है। गांव मौतबिरान के समक्ष रस्सी से पाती की हुई है। वादी के पास डेढ बीघा भूमि अधिक होने से न्यायसंगत बराबर–बराबर बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। पत्रावली बाद जवाब तनकी में तय की गई जिस पर दिनांक 20.11.2024 को दोनों पक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित हो कथन किया कि वाद वर्णित आराजी का कब्जा अनुसार बंटवाडा किये जाने में दोनों पक्षों को आपत्ति नहीं है। साक्ष्य में वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ एवं नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस क्रमशः प्रदर्श 1 व 2 के रूप में अंकन हुए।

दोनों पक्षों की ओर से कब्जा व रिकार्ड अनुसार विभाजन की सहमति दी जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करने के निवेदन उपरांत संलग्न जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/2–1/2 के सहखातेदार है जिससे वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 अपने–अपने हिस्से को जरिये विभाजन पृथक कराने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित मोजा पारसोली प0ह0 पारसोली तह0 बेगूं की वर्तमान खतौनी संवत 2072–75 खाता सं0 50में अंकित आराजी सं0 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 किता 08 में कुल रकबा 4.3900 है0 भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी का हिस्सा 1/2–1/2 जरिये विभाजन मौके पर इनके कब्जे को ध्यान में रखते हुएविभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय पेश करें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूॅ के पत्र क्रमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/674 दिनांक 04.08.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा पारसोली पटवार हल्का पारसोली की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

वादी

1– श्री सोहनलाल पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म		लगान
695	0.19	चाही2	0.16	4.47
		बीड	0.03	0.08
696	0.59	चाही2	0.57	15.94
		बीड	0.02	0.05
697	0.03	चाही2	0.03	0.84
699 मे से	1.355	बीड		3.39
कीता– 04	2.165 हैक्टर			1.50

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

– श्री कृष्णचन्द्र पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म		लगान
692	0.10	चाही2	0.04	1.12
		जाव2	0.06	0.82
693	0.33	चाही2	0.28	7.83
		बीड	0.05	0.13
698	0.65	चाही2	0.59	16.50
		जाव2	0.02	0.27
		बीड	0.04	0.10
कीता– 03	1.08 हैक्टर			26.77

3– श्री कृष्णचन्द्र पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा 76/108, पृथ्वी सिंह पिता चावण्ड सिंह राजपुत हिस्सा 32/108 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
699 मे से	1.085	बीड	2.71
कीता– 01	1.085 हैक्टर		2.71

4– श्री कृष्णचन्द्र पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली। श्री सोहनलाल पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
694	0.06	आ. चा.	
कीता– 01	0.06 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मुकदमा में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 8 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 : 7/22

सोहनलाल पिता स्व0 ऊंकारलाल जाति ब्राह्मण निवासी पारसोली तह0 बेगूं

...... वादी

– बनाम –

1– कृष्णचंद पिता ऊंकारलाल जी ब्राह्मण निवासी पारसोली तह0 बेगूं
2– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं

......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अभिवक्ता श्री के.सी.मंत्री तथा प्रतिवादीकी ओर से श्री के.सी.शर्मा की उपस्थिति में आदेश में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा पारसोली पटवार हल्का पारसोली की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है–

<u>वादी</u>

1– श्री सोहनलाल पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म		लगान
695	0.19	चाही2	0.16	4.47
		बीड	0.03	0.08
696	0.59	चाही2	0.57	15.94
		बीड	0.02	0.05
697	0.03	चाही2	0.03	0.84
699 मे से	1.355	बीड		3.39
कीता– 04	2.165 हैक्टर			1.50

2– श्री कृष्णचन्द्र पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म		लगान
692	0.10	चाही2	0.04	1.12
		जाव2	0.06	0.82
693	0.33	चाही2	0.28	7.83
		बीड	0.05	0.13
698	0.65	चाही2	0.59	16.50
		जाव2	0.02	0.27
		बीड	0.04	0.10
कीता– 03	1.08 हैक्टर			26.77

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

श्री कृष्णचन्द पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा 76/108, पृथ्वी सिंह पिता घावण्ड सिंह राजपुत हिस्सा 32/108 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
699 मे से	1.085	बीड	2.71
कीता– 01	1.085 हैक्टर		2.71

4– श्री कृष्णचन्द पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली। श्री सोहनलाल पिता उंकारलाल ब्राहमण हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
694	0.06	आ. चा.	
कीता– 01	0.06 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/607

दिनांक :– 23.8.2025

अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं
बेगूं (चित्तौड़गढ़)